न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-414RAAJodh2023-200RTA225 Smt. Amrav Kanwar ors Vs Smt. Suraj kanwar etc

01. श्रीमती अमराव कंवर पत्नी स्व. श्री भंवरसिंह जी
02. अचलसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह जी
03. जुगतसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जी
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम कुड़ी भगतासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. श्रीमती सूरज कंवर पत्नी श्री गजेन्द्रसिंह पुत्री स्व. श्री भंवरसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम कुड़ी भगतासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
02. पुष्पा कंवर पत्नी श्री चन्दनसिंह, जाति राजपूत, निवासी- राजीव नगर-बी, महामंदिर जोधपुर।
03. काजोल पुत्री श्री गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी- मकान नंबर 60, मोहन नगर-ए, बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर।
04. रूपसिंह पुत्र श्री सांगसिंह, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम कुड़ी भगतासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
05. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2021 सूरज कंवर बनाम अमराव कंवर इत्यादि

उपस्थित-
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री स्वर्णसिंह, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 08 जनवरी 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2021 अनवान सूरज कंवर बनाम अमराव कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 नवंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 319, 320, 321 व 322 कुल रकबा 30.03 बीघा ग्राम कुड़ी भगतासनी तहसील जोधपुर के संबंध में धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 319 रकबा 15 बीघा धारा 90-बी के तहत वर्ष-2017 में ही तत्कालीन नगर विकास न्यास में वेस्ट हो गई थी एवं नक्शा बनाकर विभिन्न व्यक्तियों को भूखण्ड विक्रय हो गये थे, जिस पर विभिन्न खरीददार काबिज हो चुके है, काफी खरीददारों ने मकान भी बना लिये है। न तो नगर विकास न्याय को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाया गया है एवं न ही खरीददार/पट्टाधारक को पक्षकार बनाया गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी कर दिया। मौके पर प्रार्थीनी को कब्जा काश्त ही नहीं होकर खरीददारान्/पट्टोधारियों को कब्जा है। प्रार्थीनी द्वारा धारा-90बी की कार्यवाही को कही पर चुनौती नहीं दी गई, बल्कि सहमति प्रदान की गई। यहीं नहीं जो भाईयों का टाईटल्स था, उसको सही मानते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अप्रार्थी संख्या एक ने अपनी पुत्री के नाम से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद करने का दस्तावेज कराया। वास्तविकता में 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजीनामा के तहत ही अप्रार्थी संख्या एक की पुत्री के नाम दर्ज करवाई गई थी एवं 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि का राजीनामा के तहत बेचाननामा अप्रार्थी पुष्पा कंवर के पक्ष में किया गया था। मौके पर अप्रार्थी संख्या एक का कही कब्जा ही नहीं है तो कब्जे के अभाव में दखलंदाजी का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक की पुश्तैनी भूमि है। प्रतिवादी संख्या एक से तीन ने राजीखुशी वादग्रस्त आराजी में सें 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या एक को आम मुख्त्यारनामा दिनांक 17.03.2018 को दिया था, जिस पर प्रतिवादी संख्या एक से तीन के हस्ताक्षर है। उक्त आम मुख्त्यारनामा के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 05 को बेचान की, जिसकी पालना में प्रतिवादी संख्या 05 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। शेष 11 बीघा भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या एक का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के मन में खोट आ जाने पर राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि को हड़प करना चाहते है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेंट संख्या एक के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारितकिया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 319 रकबा 20.19 बीघा में सें 15 बीघा भूमि नामांतरकरण संख्या 1185 दिनांक 16.11.2007 के जरिये नगर विकास न्यास के नाम दर्ज की जाकर नगर विकास न्यास द्वारा अपीलांट जुगतसिंह को पट्टा संख्या 1634 दिनांक 23.02.2008 जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध शपथ-पत्र दिनांक 28.08.2008 जिसमें शपथकर्ता सुआ कंवर पुत्री स्व. श्री भंवरसिंह पत्नी श्री गजेन्द्रसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपना कोई हिस्सा, दखल, अधिकार, सरोकार व वास्ता नहीं माना है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित जाना पाया जाता है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि- सम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2021 अनवान सूरज कंवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम अमराव कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर